

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-1143/2013

संस्थित दिनांक-06.12.2013

फाईलिंग क्र.234503003122013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड

जिला—बालाघाट (म.प्र.) ————— अभियोजन

// विरुद्ध //

1—सुक्कलसिंह पिता लाली सिंह धुर्वे, उम्र—26 वर्ष,  
निवासी—ग्राम मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—रामसिंह पिता लाली सिंह धुर्वे, उम्र—22 वर्ष,  
निवासी—ग्राम मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,  
जिला बालाघाट (म.प्र.) ————— आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-21/08/2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324/34, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-03.11.2013 को शाम 4:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत शीतल पानी रोड ग्राम मोहगांव में लोकस्थान पर फरियादी जहारू को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फावड़े को खतरनाक साधन के रूप में प्रयोग करते हुए आहत जहारू को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-03.11.2013 को फरियादी जहारू ने सुरेशदास के खेत में अधिया में धान की फसल लगाया था,

जिसे धान कटाई मशीन से कटवा रहा था कि करीब 4:00 बजे रामसिंह गोंड एवं सुक्कलसिंह दोनों ने उसे अपने पास बुलाए और कहा कि तू फसल क्यों कटवा रहा है, किसका खेत है। उसने बताया कि सुरेशदास का खेत है, जो उसने अधिया में कमाया है, तो उन्होंने कहा कि तेरे बाप का खेत है, कहकर मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर आरोपी सुक्कल गोंड ने उसे पकड़ लिया और आरोपी रामसिंह ने अपने हाथ में रखे फावड़े से मारा, जो उसके सिर पर बाएं तरफ लगा, जिससे खून निकलने लगा। आरोपीगण उसे जाते-जाते जान से मारने की धमकी देने लगे। उक्त घटना को मौके पर उपस्थित साक्षीगण पिल्लू रावत और अशोक रहांगडाले ने देखा व सुना है। फरियादी जहारू द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में जाकर की। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-151/13, धारा-294, 323, 324, 34, 506 (भाग-2) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त फावड़ा जप्त किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324/34, 506 (भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी जहारू ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया है, जिसके फलस्वरूप आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 (भाग-2) के अंतर्गत अपराध का शमन किया गया है तथा शेष धारा-324/34 भा.द.वि. के अंतर्गत विचारण पूर्ण किया गया। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-03.11.2013 को शाम 4:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत शीतल पानी रोड ग्राम मोहगांव में उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फावड़े को खतरनाक साधन

के रूप में प्रयोग करते हुए आहत जहारू को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-**

5— फरियादी/आहत जहारू (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना पिछले वर्ष लक्ष्मीपूजन के समय दिन के 4:00 बजे की है। घटना के समय वह अपने खेत में धान कटवा रहा था, तो आरोपीगण ने आकर उससे विवाद किया था। उसकी आरोपीगण से वाद-विवाद के दौरान झूमा-झपटी हो गई थी तथा वह धोखे से नीचे गिर गया, तो उसे फावड़ा लग गया था। उसे किसी ने मारपीट नहीं किया। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया था। उसने थाना मलाजखण्ड में आरोपीगण के विरुद्ध झूमा-झपटी करने के बारे में शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज की थी और उसका अंगूठा निशानी लगाया था। पुलिस ने उसे रिपोर्ट पढ़कर नहीं बताया था। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 उसकी निशानदेही पर तैयार किया था। उसने पुलिस को पूछताछ में घटना के बारे में जानकारी दिया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय आरोपी के द्वारा फावड़े से मारने के कारण उसे सिर पर चोट आना बताया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी तथा पुलिस के कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिया था। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आहत होते हुए भी अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

6— अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश विजयवार (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-03.11.2013 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-151/13, धारा-294, 323, 506/34 भा.द.वि. की केस डायरी प्राप्त होने पर दिनांक-04.11.13 को घटनास्थल ग्राम कोल्हयाटोला मोहगांव जाकर प्रार्थी जहारूसिंह यादव की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं प्रार्थी जहारू यादव के अंगूठा निशान लिया था। उक्त दिनांक को प्रार्थी जहारू यादव के कथन उसके बताए अनुसार लेख किया था तथा दिनांक-15.11.13 को भूमेश उर्फ छोटू रहांगडाले निवासी नेवरगांव तथा

पिल्लू उर्फ धीरज राउत के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-02.12.13 को आरोपी रामसिंह धुर्वे के द्वारा घटना में प्रयुक्त फावड़ा पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके तथा आरोपी के हस्ताक्षर लिया था। आरोपी सुक्कलसिंह तथा रामसिंह धुर्वे को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-5 तथा 6 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा प्रदर्श पी-5 पर आरोपी सुक्कलसिंह के निशानी अंगूठा लिया था तथा प्रदर्श पी-6 में आरोपी रामसिंह के हस्ताक्षर लिया था। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा-324 भा.द.वि. बढ़ाई गई थी। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने मामलों में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

7- अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण रूप से स्वयं आहत जहारू (अ.सा.1) ने आरोपीगण के द्वारा उसे फावड़े से मारकर उपहति कारित करने का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा अभियोजन ने अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य पेश नहीं की है। एकमात्र साक्षी जहारू (अ.सा.1) के कथन से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने उक्त घटना के समय कथित फावड़े को खतरनाक साधन के रूप में प्रयोग करते हुए मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी। वास्तव में उक्त साक्षी के द्वारा आरोपीगण के द्वारा कथित मारपीट करने से भी इंकार किया गया है। ऐसी दशा में आरोपित अपराध के संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव होने से मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता है।

8- उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने फावड़े को खतरनाक साधन के रूप में प्रयोग करते हुए आहत जहारू को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

- 9— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 10— प्रकरण में जप्तशुदा एक फावड़ा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)